

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

सं० 43/2017-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, तारीख 30 जून, 2017

सा.का.नि. (अ)--केंद्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार की वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं को, जो नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट हैं, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमा तक संशोधित करती है, अर्थात्:-

क्रम सं.	अधिसूचना सं. और तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	84/1971-सीमाशुल्क, तारीख 11 सितंबर, 1971	उक्त अधिसूचना में, "धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क" शब्दों और अंक के स्थान पर, "धारा 3 की उपधारा (7) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय एकीकृत कर" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे।
2.	46/1974-सीमाशुल्क, तारीख 25 मई, 1974	उक्त अधिसूचना में, "धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क" शब्दों और अंक के स्थान पर, "धारा 3 की उपधारा (7) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय एकीकृत कर" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे।
3.	241/1982-सीमाशुल्क, तारीख 4 नवंबर, 1982	उक्त अधिसूचना की सारणी के स्तंभ (3) में,-- (क) (i) में, "सीमाशुल्क" शब्द के स्थान पर, "सीमाशुल्क जिन पर उद्ग्रहीत है, जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, उक्त टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (7) के अधीन उन पर उद्ग्रहीत एकीकृत कर" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे। (ख) (ii) में, "धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क" शब्दों और अंक के स्थान पर, "धारा 3 की उपधारा (7) के अधीन एकीकृत कर" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे।
4.	326/1983-सीमाशुल्क, तारीख 23 दिसंबर, 1983	उक्त अधिसूचना में, "धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क" शब्दों और अंक के स्थान पर, "धारा 3 की उपधारा (7) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय एकीकृत कर" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे।
5.	183/86-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 1986	उक्त अधिसूचना में, "धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क" शब्दों और अंक के स्थान पर, "धारा 3 की उपधारा (7) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय एकीकृत कर" शब्द,

		अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ।
6.	207/1989-सीमाशुल्क, तारीख 17 जुलाई, 1989	उक्त अधिसूचना में, "धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क" शब्दों और अंक के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "धारा 3 की उपधारा (7) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय एकीकृत कर" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ।
7.	157/1990-सीमाशुल्क, तारीख 28 मार्च, 1990	उक्त अधिसूचना में, "धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क" शब्दों और अंक के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "धारा 3 की उपधारा (7) और उपधारा (9) के अधीन क्रमशः उस पर उद्ग्रहणीय एकीकृत कर तथा माल और सेवा प्रतिपूर्ति उपकर" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ।
8.	104/1994-सीमाशुल्क, तारीख 16 मार्च, 1994	उक्त अधिसूचना में, "उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क" शब्दों और अंक के स्थान पर, "धारा 3 की उपधारा (7) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय एकीकृत कर" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ।
9.	134/1994-सीमाशुल्क, तारीख 22 जून, 1994	उक्त अधिसूचना में, "धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क" शब्दों और अंक के स्थान पर, "धारा 3 की उपधारा (7) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय एकीकृत कर" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ।
10.	146/1994-सीमाशुल्क, तारीख 13 जुलाई, 1994	उक्त अधिसूचना में, - (i) "और दूसरे वर्णित अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण अतिरिक्त शुल्क से" शब्दों और अंक का लोप किया जाएगा । (ii) सारणी में क्रम सं. 4, 5, 6, 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।
11.	148/1994-सीमाशुल्क, तारीख 13 जुलाई, 1994	उक्त अधिसूचना में, "धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क" शब्दों और अंक के स्थान पर, "धारा 3 की उपधारा (7) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय एकीकृत कर" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ।
12.	151/1994-सीमाशुल्क, तारीख 13 जुलाई, 1994	उक्त अधिसूचना में, -- (i) "धारा के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क" शब्दों के स्थान पर, "धारा 3 की उपधारा (7) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय एकीकृत कर" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे । (ii) सारणी में क्रम सं. के सामने, स्तंभ (1) में, "ईंधन" शब्द के स्थान पर, "एविएशन टर्बाइन ईंधन से भिन्न ईंधन" शब्द रखे जाएंगे ।
13.	153/1994-सीमाशुल्क, तारीख 13 जुलाई, 1994	उक्त अधिसूचना में, -- (i) "धारा के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क" शब्दों के स्थान पर "धारा 3 की उपधारा (7) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय एकीकृत कर" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे । (ii) सारणी में क्रम सं. 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।
14.	154/1994-सीमाशुल्क,	उक्त अधिसूचना में, "धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय

	तारीख 13 जुलाई, 1994	अतिरिक्त शुल्क" शब्दों और अंक के स्थान पर, "धारा 3 की उपधारा (7) के अधीन उस पर उद्घहणीय एकीकृत कर" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ।
15.	158/1995-सीमाशुल्क, तारीख 14 नवंबर, 1995	उक्त अधिसूचना में,-- i "धारा 3 के अधीन उस पर उद्घहणीय अतिरिक्त शुल्क" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "धारा 3 की उपधारा (7) के अधीन उस पर उद्घहणीय एकीकृत कर" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे । ii "केंद्रीय उत्पाद-शुल्क के अधिकारी" शब्दों के स्थान पर, "सीमाशुल्क के अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे । iii सारणी में, स्तंभ (3) में, क्रम सं० (4क) "केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 173डड के अधीन अधिकथित प्रक्रिया का अनुपालन करने के लिए केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियंत्रण के अधीन कारखाना" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "संबंधित माल और सेवा कर अधिनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत परिसर" शब्द रखे जाएंगे ।
16.	38/1996-सीमाशुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996	उक्त अधिसूचना में,-- (i) "धारा 3 के अधीन उस पर उद्घहणीय अतिरिक्त शुल्क" शब्दों और अंक के स्थान पर, "धारा 3 की उपधारा (7) के अधीन उस पर उद्घहणीय एकीकृत कर" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे । (ii) सारणी के क्रम सं. 1 के स्तंभ (2) में, मद सं० (क), मद (च), मद (छ) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।
17.	39/1996-सीमाशुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996	उक्त अधिसूचना में,-- (i) "और दूसरे वर्णित अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्घहणीय संपूर्ण अतिरिक्त शुल्क से" शब्दों और अंक का लोप किया जाएगा । (ii) सारणी में क्रम सं. 1, 2, 4, 6, 8, 44, 45 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।
18.	43/1996-सीमाशुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996	उक्त अधिसूचना में, "धारा 3 के अधीन उस पर उद्घहणीय अतिरिक्त शुल्क" शब्दों और अंक के स्थान पर, "धारा 3 की उपधारा (7) के अधीन उस पर उद्घहणीय एकीकृत कर" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ।
19.	51/1996-सीमाशुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996	उक्त अधिसूचना में, "धारा 3 के अधीन उस पर उद्घहणीय अतिरिक्त शुल्क" शब्दों और अंक के स्थान पर, "धारा 3 की उपधारा (7) के अधीन उस पर उद्घहणीय एकीकृत कर" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ।
20.	22/2003-सीमाशुल्क, तारीख 4 फरवरी, 2003	उक्त अधिसूचना में,-- (i) "धारा 3 के अधीन उस पर उद्घहणीय अतिरिक्त शुल्क" शब्दों और अंक के स्थान पर, "धारा 3 की उपधारा (7) के अधीन उस पर उद्घहणीय एकीकृत कर" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

		(ii) सारणी में क्रम सं. 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।
21.	121/2003-सीमाशुल्क, तारीख 1 अगस्त, 2003	उक्त अधिसूचना में, "धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क" शब्दों और अंक के स्थान पर, "धारा 3 की उपधारा (7) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय एकीकृत कर" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ।
22.	130/2010-सीमाशुल्क, तारीख 23 दिसंबर, 2010	उक्त अधिसूचना में, "धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क" शब्दों और अंक के स्थान पर, "धारा 3 की उपधारा (7) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय एकीकृत कर" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ।
23.	26/2011-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2011	उक्त अधिसूचना में,- (i) "धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क" शब्दों और अंक के स्थान पर, "धारा 3 की उपधारा (7) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय एकीकृत कर" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे । (ii) सारणी में क्रम सं. 1 और 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।
24.	10/2014-सीमाशुल्क, तारीख 12 मई, 2014	उक्त अधिसूचना में, "धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क" शब्दों और अंक के स्थान पर, "धारा 3 की उपधारा (7) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय एकीकृत कर" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ।
25.	8/2016-सीमाशुल्क, तारीख 5 फरवरी, 2016	उक्त अधिसूचना में, "धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क" शब्दों और अंक के स्थान पर, "धारा 3 की उपधारा (7) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय एकीकृत कर" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ।
26.	17/2017-सीमाशुल्क, तारीख 21 अप्रैल, 2017	उक्त अधिसूचना में, "धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क" शब्दों और अंक के स्थान पर, "धारा 3 की उपधारा (7) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय एकीकृत कर" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

(फा.सं. 354/119/2017-टीआरयू)

(रुचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण :--

1. मूल अधिसूचना सं० 84/1971-सीमाशुल्क, तारीख 11 सितंबर, 1971, भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा०का०नि० 1334(अ), तारीख 11 सितंबर, 1971 द्वारा प्रकाशित की गई थी । इसका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं० 101/1995-सीमाशुल्क, तारीख 26 मई, 1995 द्वारा किया गया था, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा०का०नि० 428(अ), तारीख 26 मई, 1995 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

गया था, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा०का०नि० 141(अ), तारीख 1 मार्च, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

21. मूल अधिसूचना सं० 121/2003-सीमाशुल्क, तारीख 1 अगस्त, 2003, भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा०का०नि० 623(अ), तारीख 1 अगस्त, 2003 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।
22. मूल अधिसूचना सं० 130/2010-सीमाशुल्क, तारीख 23 दिसंबर, 2010, भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा०का०नि० 1008(अ), तारीख 23 दिसंबर, 2010 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।
23. मूल अधिसूचना सं० 26/2011-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2011, भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा०का०नि० 152(अ), तारीख 1 मार्च, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी । इसका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं० 14/2015-सीमाशुल्क, तारीख 31 मार्च, 2015 द्वारा किया गया था, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा०का०नि० 242 (अ), तारीख 31 मार्च, 2015 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।
24. मूल अधिसूचना सं० 10/2014-सीमाशुल्क, तारीख 12 मई, 2014, भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा०का०नि० 335(अ), तारीख 12 मई, 2014 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।
25. मूल अधिसूचना सं० 8/2016-सीमाशुल्क, तारीख 5 फरवरी, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा०का०नि० 147(अ), तारीख 5 फरवरी, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।
26. मूल अधिसूचना सं० 17/2017-सीमाशुल्क, तारीख 21 अप्रैल, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा०का०नि० 400(अ), तारीख 21 अप्रैल, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।